

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल - aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ2 (ग)(कैडर रिज्यू) अलेसे 1/424

दिनांक :- 18/02/2026

आदेश संख्या : 106/2025-26

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(11)एफडी/रेवेन्यू/96 पार्ट-II जयपुर दिनांक 28/04/2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13/08/2013 में दिये गये निर्देशों तथा संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग के पत्र क्रमांक पं0 22(01)चिस्वा/2/B.S.25-26/2025/05599 दिनांक 18/07/2025 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की कैडर स्ट्रेन्थ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.स.	कार्यालय का नाम	संशोधन पूर्व पद			संशोधन पश्चात् पद		
		स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार
1	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ (8001845)	0	0	2	0	1	2
2	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय नवलगढ़ झुंझुनूं (8001846)	0	0	2	0	1	2
3	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उप जिला चिकित्सालय टोडारायसिंह टोंक (23542)	0	0	1	0	1	2
4	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उप जिला चिकित्सालय नावां डीडवाना-कुचामन (8001843)	0	0	1	0	1	2
5	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय शाहपुरा भीलवाड़ा (20403)	0	0	2	0	1	2
6	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उप जिला चिकित्सालय जहाजपुर भीलवाड़ा (22655)	0	0	1	0	1	2
7	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजसमंद (20383)	1	0	2	0	1	2

उक्त पद सृजन/समाप्ति के उपरान्त राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की नवीनतम कैडर स्ट्रेन्थ निम्नानुसार है:-

विवरण	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	योग
वर्तमान कैडर स्ट्रेन्थ	2642	3913	6029	12584
नवीन कैडर स्ट्रेन्थ	2641	3920	6032	12593

(संध्या शर्मा)
18/2/2026


(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक :- एफ2 (ग)(कैडर रिव्यू) अलेसे । 1424

दिनांक :- 18/02/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित विभागाध्यक्ष
3. संयुक्त निदेशक (आई. टी.)को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक ।
5. पदस्थापन सहायक अलेसे II / II / III को विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु


(लखपत मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)